रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-63/2024/105/22-2-2024-17(450)2017

लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनोद कुमार त्रिपाठी (बन्दी संख्या-236/2013) पुत्र श्री राधेश्याम त्रिपाठी, बिदनपुर, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है, जिन्हें **केस नं0-1** सत्र परीक्षण संख्या-32/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक 04.03.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.11.2012 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया एवं **केस नं0-2** सत्र परीक्षण संख्या-68/1991 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक 08.05.1995 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.03.2017 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया, द्वारा **केस नं0-1** में दिनांक 25.10.2023 तक 22 वर्ष, 01 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष, 09 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं **केस नं0-2** में दिनांक 25.10.2023 तक 06 वर्ष 06 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, का जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-63 /2024/105(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।
3- पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मिसलेनियस अप्लीकेशन सं0-2169/2022 राजकुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in